



## MADHYA PRADESH MEDICAL SCIENCE UNIVERSITY, JABALPUR (M.P.)

कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./परीक्षा/2019/598

जबलपुर, दिनांक 08/04/2019

### अधिसूचना

विश्वविद्यालय अधिसूचना कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./परीक्षा/2019/199 दिनांक 10.01.2019 के तारतम्य में पुनः सूचित है कि

1. सी.सी.एच., नई दिल्ली की अधिसूचना सं. 12-11/2010-के.हो., नई दिल्ली दिनांक 14.12.2018 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 17.12.2018 के बिंदु कमांक 5 के अनुसार "अभ्यर्थी को द्वितीय बी.एच.एम.एस. परीक्षा में प्रवेश की अनुमति से कम से कम एक सत्र पूर्व (छःमाह) प्रथम बी.एच.एम.एस. परीक्षा की सभी विषयों में उत्तीर्ण होना होगा"।
2. प्रथम बी.एच.एम.एस. के किसी भी एक विषय एनाटामी/फिजियालाजी/होम्योपैथिक फार्मसी में से किसी भी एक विषय में अनुत्तीर्ण पर ATKT की सुविधा होगी।
3. ये नियम सभी बैचों पर एकसमान रूप से लागू होंगे।

(माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित)

परीक्षा नियंत्रक

म0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

जबलपुर

पृ.कमांक/म.प्र.आ.वि.वि./परीक्षा/2019/598 A

जबलपुर, दिनांक 08/04/2019

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय, म0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त संबद्ध होम्योपैथिक महाविद्यालय।

अनुमोदित  
8/4/19

सहायक कुलसचिव(परीक्षा/गोपनीय)

म0प्र0आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

जबलपुर